

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा

(पीठरीन अधिकारी प्रशासन गांव के संग/कैम्प कोर्ट 2021)

पीठरीन अधिकारी :- श्रीमती शकुन्तला चौधरी आर0ए0एरा0

उन्वान

सुरेश बनाम रावतराम आदि

दावा बाबत :- 98 RTACT

मुकदमा नम्बर :- 107/2021

निर्णय दिनांक :- 04-10-2021

वादी की ओर से वकील की व प्रतिवादी सं0 1 का 3 की

ओर से वकील श्रीमती शकुन्तला चौधरी की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 04-10-2021

को मुझ शकुन्तला चौधरी उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि

श्री 16 AM5 के खाता सं 156/108 के मु. नं. 81 किला नं. 1 का 3, 8 का 11, मु. नं. 82 किला नं. 4 का 7, मु. नं. 110 किला नं. 1, 10, 11, 20 मु. नं. 111 किला नं. 5, 6, 15, 16 कुल 4.807 हे० में प्रतिवादी सं. 1 के नाम 1.708 हे० व शरी 16 AM5 के मु. नं. 81 के किला नं. 12, 13, 18 का 20, 22, 23, मु. नं. 82 किला

नं. 9, 11, 12, 14 का 17, 19, 20, मु. नं. 84 का किला नं. 1 का 4, 7, मु. नं. 98 किला नं. 2, 3, 8, 9, 13 मु. नं. 122 किला नं. 9 का 12, 19, मु. नं. 133 किला नं.

1 का 4, 5, 11, 5/2 कुल 8.982 हे० में प्रतिवादी सं. 1 के नाम 1.4 हे० दिखा खतारी दी। मैं से कुल प्रतिवादी सं. 1 के वृज्जाए वादी व प्रतिवादी सं. 1 व 2 का व हिस्सा व शरीर के खातेदार का 2 का 1 का घोषित किये जाते हैं। मुक्ति प्रति सं 3 ने अपना सम्पूर्ण हक व हिस्सा वादी व प्रति सं. 1 व 2 को पक्ष में माया का मुज्जा कर लिया है। मुक्ति हक माया का हिस्सा मैं हिस्से का पेजी माया मुज्जा व अया होने व मुक्ति के रहने हो तो रहने मुस्ता होने उपरान्त राजस्व

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। रिवाइ ने अमल दाखल किया जाये राजीनामा यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 04-10-21 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

शकुन्तला चौधरी

(शकुन्तला चौधरी) उपखण्डाधिकारी (राजस्व) R.A.S.

उपखण्डाधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़